रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 888] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 11, 2010/वैशाख 21, 1932
No. 888] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 2010/VAISAKHA 21, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 मई, 2010

का.आ. 1057(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से विचार-विमर्श करने के बाद एतद्द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2953(अ), दिनांक 19 नवम्बर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

(i) आदेश के खंड 1 के उप-खंड (2) में "180 दिन" अंक व शब्द को "360 दिन" अंक व शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) आदेश के खंड 3 के उप-खंड (च) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"न्यूमेटिक टायर जिन्हें घरेलू रूप से विनिर्मित नहीं किया गया और मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा अपने प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से पुन: स्थापन बाजार (रिप्लेसमेंट मार्केट) में बिक्री के लिए आयात किया गया। घरेलू रूप से विनिर्मित नहीं किए गए तथा आयातित न्यूमैटिक टायरों की सूची को महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। उक्त समिति में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, जहाजरानी (शिपिंग) मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई), ऑटोमोटिव टायर विनिर्माता संघ (एटीएमए), भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (एसआईएएम) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सदस्य भी होंगे। उक्त समिति टायरों की इस सूची की प्रत्येक तीन माह में समीक्षा भी करेगी तथा उपयुक्त सिफारिशें करेगी।"

[फा. सं. 16(72)/2005-एलआर]

रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19 नवम्बर, 2009 की संख्या का.आ. 2953(अ) द्वारा जारी की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 11th May, 2010

S.O. 1057(E).—In exercise of powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following

amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. S.O. 2953(E), dated the 19th November, 2009 namely :—

(i) in sub-clause (2) of Clause 1 of the Order, for the figures and word "180 days" the figures and word "360 days", shall be substituted;

(ii) for sub-clause (f) of Clause 3 of the Order, the following shall be substituted, namely :—

"Pneumatic tyres not manufactured domestically and imported by Original Equipment Manufacturers (OEM) for selling in replacement market through their authorized dealers. The list of pneumatic tyres not manufactured domestically and imported would be finalized by a Committee chaired by an officer of the Directorate General of Foreign Trade (DGFT). The Committee will have members from Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Shipping, Ministry of Road Transport and Highways, Central Institute of Road Transport (CIRT), Automotive Research Association of India (ARAI), Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA), Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and Bureau of Indian Standards (BIS). The Committee will also review this list of tyres every three months and make suitable recommendations."

[F. No. 16(72)/2005-LR]

RENU SHARMA, Jt. Secy.

Note.—The Principal notification was issued in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* number S.O. 2953(E) dated the 19th November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.